राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः– कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक सं. राज0वि.से.प./2020/01 दिनांकः 01.01.2020

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 31.12.2019 को दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक आयोजित की गई।

बैठक में कोषाध्यक्ष द्वारा परिषद् की दिनांक 31.12.2019 तक की आय–व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। आय–व्यय के ब्यौरे के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आय–व्यय के ब्यौरे को सर्वसम्मति से यथास्थिति में अनुमोदित किया गया।

बैठक में परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. विधि सेवा की स्मारिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020 की अवधि में स्मारिका के प्रकाशन हेतु एक कमेटी का गठन किया जावे। कमेटी में श्री सांवरमल पारीक, संयुक्त विधि परामर्शी प्रधान सलाहकार होंगे तथा श्रीमती आशा शर्मा, उप विधि परामर्शी, श्री विजय जैन, उप विधि परामर्शी, श्री संजय कुमार, सहायक विधि परामर्शी, सुश्री भारती शर्मा, SLO, श्री विभात सीवर, JLO, श्री सोमदत्त खाण्डपा, JLO, श्री हेमन्त सिंह, JLO, श्री सुनील मुवाल, JLO एवं श्री विकास अग्रवाल, JLO, स्मारिका प्रकाशन समिति के सदस्य होंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा वादकरण नीति 2018 जारी की गई है और उसी नीति के सम्बन्ध में विधि विभाग द्वारा एक परिपत्र भी दिनांक 19.09.2019 को जारी किया गया जिसमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सभी विभागों में विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्णय से अवगत कराते हुए संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी एवं अन्य पदों के पुनर्गठन/सृजन के सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव विधि विभाग को भिजवाने की अपेक्षा की गई है।

   विधि विभाग के उक्त परिपत्र की पालना में परिषद् की जानकारी के अनुसार पद सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव अभी तक सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विधि विभाग को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विधि विभाग से अनुरोध किया जावे कि विधि विभाग द्वारा अपने उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने हेतु परिपत्र दिनांक 19.09.2019 का स्मरण पत्र जारी किया जावे।

3/1/4

3. 01 अप्रेल 2020 से कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु कार्यानुभव में एक वर्ष की छूट प्रदान करने के लिये विधि विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जावे।
4. राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु विधि विभाग को अभ्यावेदन पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिया है। प्रमुख शासन सचिव महोदय से चर्चा करके प्रशिक्षण के सम्बंध में पुनः प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. विधि सेवा परिषद् की वेबसाईट विधि सेवा सदस्यों के लिये अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। वेबसाईट के रखरखाव के संबंध में कॉन्ट्रेक्ट की 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के कारण इसको पुनः 2 वर्ष आगे के लिये नवीनीकृत करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

01/01/2020

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपि – प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महासचिव

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

स्थापना : 1982

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/02

दिनांक 09.01.2020

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः— राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण के परिचय पत्र बनाये जाने के संबंध में।

संदर्भः— आप द्वारा प्रेषित पत्र कमांक प. 22 (7)न्याय/2017 जयपुर, दिनांक 11.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा विधि सेवा के समस्त अधिकारीगण के परिचय पत्र बनाये जाने के संबंध में उन्हें, विधि विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में वांछित विवरण मय फोटोग्राफ प्रेषित करने हेतु बार–बार सूचित किया गया। जिन अधिकारीगण द्वारा उक्त वांछित सूचना परिषद को उपलब्ध करायी गयी, उनके परिचय पत्र बनाये जाने हेतु परिषद की मुद्रण एवं प्रकाशन समिति द्वारा स्वयं के स्तर पर परिचय पत्र के फॉर्मेट में टाईप किया गया एवं उसकी प्रूफरीडिंग की गयी।

चूंकि विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा वांछित सूचना परिषद को एक साथ उपलब्ध नहीं करायी गयी, अतः परिचय पत्र भी एक बार में नहीं बनवाये जा सके। विधि अधिकारीगण द्वारा परिषद को परिचय पत्र हेतु आवेदन पत्र अभी भी प्रेषित किये जा रहे हैं, किन्तु प्रेस द्वारा परिचय पत्र एक साथ लॉट में ही बनाये जाने कारण वह परिषद में लम्बित हैं।

परिषद द्वारा परिचय पत्र Uma Computers, A House of DTP Work, Near Vijay Sadan, Hanuman Ji Ka Rasta, Tripoliya Bazar, Jaipur – 302003, से प्रति परिचय पत्र रूपये 60/– की दर से प्रिन्ट करवाये गये हैं।

09/01/2020

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 6

दिनांक : 28.01.2020

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान बालेन्द्र पाण्डे, संयुक्त विधि परामर्शी एवं श्रीमान काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी अपनी राजकीय सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.01.2020 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

उक्त अधिकारियों के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 31.01.2020 को अपरान्ह 2.00 से 3.00 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

अतः उक्त समारोह में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

28/01/2020
(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./07

दिनांक : 20-02-2020

श्रीमान,

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण की वर्ष 2019–20 की रिव्यू डी.पी.सी. कराने बावत्।

संदर्भ :– राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ. 1(1)कार्मिक/क–2/91, दिनांक 18.02.2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी संदर्भित अधिसूचना, दिनांक 18.02.2020 द्वारा राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में संशोधन कर, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु कुल सेवा अनुभव, *'25 वर्ष की राज्य सेवा'* के स्थान पर *'अधीनस्थ सेवा सहित कुल सेवा का 28 वर्ष'* किया गया है। चूँकि उक्त संशोधन दिनांक 18.02.2020 से प्रभावी हो चुका है एवं संयुक्त विधि परामर्शी पद पर वर्तमान में कार्यरत चार अधिकारीगण दिनांक 1 अप्रेल 2019 को हीउक्त सेवा अनुभव पूर्ण कर चुके हैं, अतः वे वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

चूंकि वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी पद की वर्ष 2019–20 की नियमित डी.पी.सी. सम्पन्न हो चुकी है, अतः वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के उक्त पदों पर एवं इसके परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी एवं सहायक विधि परामर्शी के पदों पर पदोन्नति हेतु अतिशीघ्र रिव्यू डी.पी.सी. कराने की कृपा करें।

सादर।

संलग्न :– अधिसूचना दिनांक 18.02.2020.

20/2/2020

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

O/C

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-GR.II)

No.F.1 (1) DOP/A-II/91 **Dated:-** 18.02.2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legal (State and Subordinate) Service Rules, 1981, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legal (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Legal (State and Subordinate) Service Rules, 1981, the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Senior Joint Legal Remembrancer	100% by Promotion	-	Joint Legal Remembrancer	28 years' experience in all on the posts included in the Rajasthan Legal (State and Subordinate) Service	-

"

By order and in the name of the Governor,

(Jai Singh)
Deputy Secretary to the Government

16/2020

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(7)न्याय/2017 जयपुर, दिनांक

27 FEB 2020

श्री जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद
कमरा नं.–1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः–राजस्थान विधि सेवा के सभी सदस्यों का पहचान पत्र जारी करने बाबत्।
संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक 02 दिनांक 09.01.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परिचय पत्र प्रिन्ट करवाने के लिए मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु स्थान का पता आप द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है, परन्तु यह अवगत नहीं कराया गया है कि मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए संबंधित फर्म को इस विभाग के निर्देश पर ही परिचय पत्र छपवाने के लिए आप द्वारा निर्देशित कर दिया गया है तथा प्रेस द्वारा मुद्रण हेतु जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वो इस विभाग को जमा नहीं कराई है, अतः अविलम्ब जमा कराए।

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प. / 8

दिनांक : 05-03-2020

आम सूचना

जैसा कि विधि सेवा के सभी सम्माननीय सदस्यों को विदित है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नई वादकरण नीति 2018 जारी की गई है। उक्त वादकरण नीति की अनुपालना हेतु विधि विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 19.09.2019 को जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सभी विभागों में विधि प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने एवं राजस्थान विधि सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी एवं अन्य पदों के पुनर्गठन/सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव औचित्य सहित भेजे जाने को निर्देशित किया था।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग के परिपत्र दिनांक 02.03.2020 के द्वारा पुनः मुख्य सचिव महोदय की ओर से सभी विभागों को राज्य वादकरण नीति, 2018 के अध्याय 5, 6 व 7 की पालना के निर्देश दिये गये हैं।

वादकरण नीति के अध्याय 5, 6 व 7 निम्नानुसार हैं –

5. LEGAL CELL

5.1 Administrative orders issued in day to day working are often challenged in Courts. To minimize such litigation, administrative orders need to be in conformity with the relevant Acts, Rules, Notifications and Judicial pronouncements. To advise the Administrative Departments instantly, on law points, officers from Legal Service shall be deployed in every department. The State shall endeavor to strengthen the legal cells in all departments by providing adequate infrastructure and deploying adequate number of officers of appropriate rank as per the need of the department, depending on the quantum and nature of the litigation.

5.2 The officer of Legal Service not below the rank of Joint Legal Remembrancer shall be posted in the Administrative Department, where number of Court cases is more than 1000. A Legal Cell, if so requires, comprising officer of Legal Service of appropriate rank shall be established at District level to ensure proper coordination between all the departments collectively and the Government Counsels. Moreover, another important function that these Legal Cells can also perform is to coordinate between different departments/ instrumentalities/concerned officers etc. for the litigation. Especially where different departments of districts or different districts authorities are impleaded in any matter, the Legal Cell can perform as a centralized coordination hub between Government Counsels and State instrumentalities, which will in turn result into speedy follow up and disposal of matters. 5

5.3 For speedy decision and effective monitoring of litigation, the officers of Legal Service above the rank of Assistant Legal Remembrancer shall be directly subordinate to the Head of the department and Secretary of Administrative Department concerned.

5.4 The legal cell shall be responsible for:- (i) providing instant advice on law points, in day to day administrative functions, as and when required; (ii) Monitoring litigation of the department concerned and providing aid to the Nodal Officer of the department including preparation of nitty-gritty of the case, brief notes relating to relevant laws, departmental rules and precedents/analogous of similar cases decided finally or pending before the courts.

5.5 The Administrative Departments, where Legal Cells do not exist, will create so. 5.6 Necessary infrastructure and man power including Stenographer, IT/Software support etc. will be made available by the Administrative Department concerned to the Legal Cell for discharging their duties effectively.

6. NODAL OFFICERS

6.1 Every Department at level and each head of the departments shall appoint a Nodal Officer. The duties and responsibilities of the Nodal Officers shall inter alia include regular monitoring, coordination and effective management of litigation pending before the Supreme Court, High Courts, Subordinate Courts and Tribunals. Nodal Officer shall pay special attention to curb delay in filing appeals/petitions within time and in particular, identify cases in which repeated adjournments are being taken at the instance of the State for instructions or filing reply and report such cases of repeated and unjustified adjournments to the Head of the Department.

6.2 The Head of Department or Officer of the Legal Service posted in the Department shall examine relevant records and ensure that the record of the case justify the reasons for adjournments. If there are repeated adjournments, serious note will be taken of it and negligence or default on the part of officer- in -charge concerned will be dealt with appropriately by the competent authority. It shall be open to the Head of the Department to call for reasons for such adjournments.

6.3 The Administrative Department shall ensure appointing an efficient officer not below the rank of Deputy Secretary, capable of managing litigation as Nodal Officer. If the number of cases of an Administrative Department exceeds 500 the work of Nodal Officer shall be assigned to an officer independently.

6.4 The Nodal Officer shall maintain a record of the cases pending in courts, related to his department, such record shall be maintained courtwise so that cases may be tracked conveniently.

6.5 It has been observed more often than not that the law officers either do not appear in Courts or appear without due preparation. The basic reason is incomplete record of pending litigation with the Administrative Department and improper briefing to the Counsel for the State. This not only causes inconvenience to the Court but also adversely affects the State interest. The Nodal officer shall ensure that the relevant record of the case is provided to the Counsel without delay.

6.6 The factual reports and brief note shall be placed on the file in the formats prescribed by the Law Department.

6.7 The Nodal Officer shall get the website of LITES (Litigation Information Tracking and Evolution System) updated regularly. Nodal Officer shall be provided adequate staff (including an IT personnel for LITES updates) for keeping the records updated, facility of internet and phone for proper communication and collecting necessary information.

6.8 The e-mail address and phone numbers of the Nodal Officer shall be available and accessible to the Counsels for the State and vice-versa. The Law Department shall also maintain record of all the Nodal officers and Counsels for the State.

6.9 The Nodal Officer shall also perform such other duties as specified from time to time by the Law Department.

6.10 The Law Secretary shall hold meetings of the Nodal Officers at least once in six months to get feedback on the status of state litigation, share the experiences of individuals, pin point the genuine difficulties and evolve ways and means for further improvements.

6.11 The Nodal Officer shall not be changed frequently.

6.12 Any reluctance in the discharge of duties shall be viewed seriously and shall be a valid reason for initiating disciplinary action against the delinquent officer.

7. OFFICER- IN-CHARGE OF THE CASE

7.1 As soon as an information of institution of case against the State is received by the Department or it decides to institute a case or prefer an appeal etc., it shall be incumbent upon the Administrative Department/ Head of the Department concerned to appoint an efficient officer as officer-in-charge of the case who shall be authorized to sign Vakalatnama/ Affidavits etc., provide brief of defense/facts of the case to be presented before the court, relevant documents, departmental Laws and Rules/ instructions/ circulars etc. having bearing on the matter in dispute to the counsel. In important cases, the Administrative Department shall appoint an officer well versed with the finer points, (preferably an officer handling the issue in hand) of the case as additional officer in charge to assist the officer in charge in bringing the material points before the court.

7.2 The officer in charge will be responsible for collecting the factual data, preparing a parawise factual report as far as practicable and briefing the case accordingly to the Counsel for the State. One copy of the factual report may be sent to the Counsel for the State through e-mail also. If the factual report is not provided in time to the concerned Counsel, it shall also be the duty of the concerned Advocate to inform the Department regarding it. While appointing officer in charge, it shall be kept in mind that the appointment of the officer in charge is not a mechanical process but a well-considered decision, because the justice to be delivered in the case hinges on his performance.

7.3 Officer in-charge of the case shall obtain the information regarding the present status and the next date of hearing of the case. He shall also collect all necessary information and ensure that necessary pleadings are filed within time. The Law officer/ Counsel concerned shall extend full cooperation to officer-in-charge of the case and ensure timely preparation and submission of necessary pleadings.

7.4 The officer in charge, if deems fit, shall arrange meeting with the Counsel for the State/Additional Advocate General handling the case and brief him about the facts of the case as well as department's point of view within reasonable time.

7.5 The officer in charge shall remain present in court on every date of hearing and shall meet the Counsel for the State on the preceding day of the date of hearing for providing assistance, if so required.

7.6 The officer in charge shall immediately, after the decision to file an appeal or contesting a case is taken, contact the Counsel for the State with complete record of the case, brief him and get the appeal / reply drafted.

7.7 It shall be the duty of the officer in charge to inform about the proceedings or orders of the court of every date of hearing in the case, to the Nodal officer who will apprise the same to the Pr. Secretary / Secretary concerned of the Administrative Department.

7.8 Duties of the Officer-in-charge shall be clearly mentioned in the letter of appointment. Functions and duties of the officer in-charge of the case and their conduct in the office of Advocate General/Government Counsel shall conform to the norms as are mentioned in Annexure-I to this policy.

7.9 The officer-in-charge shall be responsible for immediate receipt and submission of the copy of the decision..

7.10 Any reluctance in the discharge of duties mentioned here in above, shall be viewed seriously and shall be a valid reason for initiating disciplinary action against the delinquent official.

उल्लेखनीय है कि वादकरण नीति मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत राजकीय दस्तावेज है। इस सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल आज्ञा दिनांक 09.04.2019 को जारी की गई है। वादकरण नीति सभी विभागों पर बाध्यकारी है।

अतः सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह नई वादकरण नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना में अपने–अपने विभागों की आवश्यकता के अनुरूप विधि सेवा के नवीन पदों के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव शीघ्र ही विधि विभाग को भिजवावे ताकि वादकरण नीति की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सके।

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

31/2019

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांकः प. 12(8)राज/वाद/10 पार्ट दिनांक 01.04.2019 में अंकित राज्य की नवीन वादकरण नीति के निरूपण संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को सरक्यूलेशन के माध्यम से स्वीकृत करते हुए, ज्ञापन के संलग्न तत्संबंधी Rajasthan State Litigation Policy, 2018 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

(डी0 बी0 गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

डी. 31/मं.मं./2019
जयपुर, दिनांकः09 अप्रैल, 2019

राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./09

दिनांक : 18.03.2020.....

लोक सूचना अधिकारी,
(संयुक्त शासन सचिव)
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के समस्त पदों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें :–

1. राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में वर्ष 1994–95 से आज तक संपूर्ण सेवा कैडर में प्रतिवर्ष कौन–कौन से पद कब एवं कहॉ सृजित हुए व समाप्त हुए ? उनका वर्षवार पूर्ण विवरण एवं पद सृजन व समाप्त होने संबंधी आदेशों की प्रति उपलब्ध करायी जावे।

2. राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में वर्ष 1984–85 से आज तक प्रत्येक पद की वर्षवार कैडर स्ट्रेन्थ उपलब्ध करायी जावे।

3. वर्तमान में कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तक के कुल कितने–कितने पद किस–किस विभाग में सृजित हैं? विवरण सूची उपलब्ध करायी जावे।

संलग्न :– 10/– रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर
संख्या 48F 381091

भवदीय

18/3/2020

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
पता– कमरा नं0 1007, मुख्य भवन,
शासन सचिवालय, जयपुर।
मो0 नं0 –7014347174

18/03/20 O/C

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./10 दिनांक : 18·3·2020

संयुक्त शासन सचिव, विधि,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा के सभी सदस्यों का पहचान–पत्र जारी करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक प.22(7)न्याय/2017 जयपुर, दिनांक 27.02.2020

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि प्रेस द्वारा विधि सेवा परिषद् को उपलब्ध कराये गये समस्त परिचय–पत्र, परिषद द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 31.10.2018, 24.04.2019, 17.05.2019 एवं दिनांक 10.06.2019 के जरिये आपको भेजे जा चुके हैं। प्रिन्ट किये हुये परिचय पत्र के अलावा अन्य कोई मुद्रण संबंधी सामग्री प्रेस द्वारा परिषद् को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। परिचय–पत्र बनवाने हेतु आप द्वारा प्रदत्त किये गये हस्ताक्षर प्रपत्र को मूल ही संलग्न कर लौटाया जा रहा है। परिचय–पत्र बनवाने हेतु परिषद् को प्राप्त ~~प्राप्त~~ श्री सुरेश कुमार गुप्ता, संयुक्त विधि परामर्शी एवं श्री महेन्द्र कुमार बेगानी सहायक विधि परामर्शी के आवेदन पत्र एवं पूर्व में प्रदत्त सूची के कम संख्या 143–145, 147–150, 159, 165 एवं 170 से संबंधित 10 आवेदन पत्र (कुल 12 आवेदन पत्र) मूल ही संलग्न कर निवेदन है कि उक्त परिचय–पत्र विधि विभाग के स्वयं के स्तर से बनवाकर जारी किये जावें। परिषद् द्वारा बनवाकर पूर्व में विधि विभाग में जमा कराये गये ऐसे परिचय–पत्र, जिन्हें जयपुर से बाहर होने के कारण संबंधित अधिकारीगण प्राप्त नहीं कर सके हैं, कृपया उनके परिचय–पत्र, उन्हें जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाने का श्रम करें।

सादर।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18/3/2020

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

9C

only one

क्रमांक – 11/2020 दिनांक – 08/6/2020

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– वर्ष 2020–21 में पदोन्नति हेतु कनिष्ठ विधि अधिकारी के कार्यानुभव में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) नियम, 1981 में कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नती हेतु 5 वर्ष का सेवानुभव प्रावधानित है। वर्तमान में राज्य में वरिष्ठ विधि अधिकारी के लगभग 80 प्रतिशत पद रिक्त हैं एवं उक्त पद पर मात्र 33 अधिकारी ही पदस्थापित हैं। कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर वर्ष 2016 में कार्य ग्रहण करने वाले अधिकारीगण का वर्तमान में कार्यानुभव 4 वर्ष पूर्ण हो चुका है एवं इनकी पदोन्नति हेतु अनुभव में एक वर्ष की छूट की आवश्यकता है।

चूंकि वर्तमान में वरिष्ठ विधि अधिकारी के अधिकांश पद रिक्त हैं एवं पदोन्नति हेतु एक भी अधिकारी को 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त नहीं है, अतः उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु कार्यानुभव में एक वर्ष की छूट प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सहायक अनुभागाधिकारी एवं लिपिक ग्रेड–। के पदों पर पदोन्नति के मामले में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 01.6.2020 को कार्यानुभव में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। कनिष्ठ विधि

08/6/2020

o/c

क्रमांक- 12

31/7/2020

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा विधि अधिकारियों को अपने स्तर से अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक प. 22(13)न्याय/97 दिनांक 09.7.2019 द्वारा राज्य के समस्त जिला कलेक्टर एवं अन्य विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि विधि सेवा के अधिकारियों को उनके पदस्थापन के साथ विधि सेवा के किसी अन्य रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार उनके स्तर से न दिया जावे बल्कि उक्त हेतु प्रस्ताव विधि विभाग को प्रेषित किये जावें।

प्रायः यह देखने में आया है कि जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्षों द्वारा विधि विभाग के परिपत्र दिनांक 09.7.2019 की पालना न करते हुए, स्वयं के स्तर से ही विधि सेवा के अधिकारियों को अन्य रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान करने हेतु आदेश जारी कर दिये जाते हैं तथा उन्हें उक्त कार्य ग्रहण करने हेतु मजबूर किया जाता है। उक्त कम में संबंधित विधि अधिकारी द्वारा विधि विभाग से ऐसे आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया जाता रहा है एवं विधि विभाग द्वारा भी समय–समय पर ऐसे आदेशों को निरस्त करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त कम में विनम्र निवेदन है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 09.7.2019 के कम में समस्त जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्षों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जावे कि यदि उनके

31/7/2020

O/C

द्वारा स्वयं के स्तर से ही किसी विधि अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है, तो संबंधित विधि अधिकारी विधि विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे आदेशों की अनुपालना नहीं कर सकेगा। उक्त परिपत्रादेश की प्रति विधि सेवा के अधिकारीगण को भी सूचनार्थ प्रेषित हो, जिससे कि वह अनावश्यक पत्राचार से बच सकें एवं राज्य सरकार का भी कीमती समय बर्बाद न हो।

आपकी अति कृपा होगी।

सादर।

संलग्न :– परिपत्र, दिनांक 09.7.2019.

31/7/2020

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(13)न्याय/97 जयपुर, दिनांक 9.7.19

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों द्वारा अपने पद के साथ-साथ अन्य विभागों अथवा अन्य पदों का अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश अपने स्तर पर बिना विधि विभाग की सहमति के जारी कर दिये जाते है, जबकि विधि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पदीय कर्त्तव्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त कार्य आवंटन करने के लिए विधि विभाग ही अधिकृत है।

अतः सभी जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य विभागों को प्रेषित कर लेख है कि विधि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पदीय कर्त्तव्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त कार्य आवंटन करने के लिए विधि विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जिससे विधि विभाग संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियों को नियमानुसार निर्देशित कर सके।

9/7/19

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त
4. समस्त विभाग
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

9-7-19

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: रा.वि.से.प./13

जयपुर दि० 4/8/2020

संयुक्त शासन सचिव, विधि,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण का पहचान–पत्र बनवाने बाबत्।

महोदय,

विधि सेवा अधिकारीगण द्वारा परिचय पत्र बनवाये जाने हेतु, निर्धारित प्रपत्र में भरे हुये 28 आवेदन पत्र राजस्थान विधि सेवा परिषद को प्रेषित किये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न सूची में उल्लेखित है। अतः उक्त मूल प्रपत्र मय खर्चा राशि प्रति परिचय पत्र रूपये 70/– कुल राशि रूपये 1960/– संलग्न कर निवेदन है कि विधि विभाग के स्तर से उक्त अधिकारीगण के परिचय पत्र शीघ्र बनवाने का श्रम करें।

सादर।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

04/8/2020

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 14

दिनांक : 06/8/2020

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– कनिष्ठ विधि अधिकारी 'प्रतियोगी परीक्षा–2019' के साक्षात्कार शीघ्र आयोजित कराये जाने के संबंध में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के 156 पदों हेतु दिनांक 26–27 दिसम्बर, 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 08.5.2020 को घोषित किया जा चुका है, किन्तु उक्त हेतु अभी साक्षात्कार शुरू नहीं हो सके हैं।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अधीन कार्यरत विधि सेवा के कनिष्ठ विधि अधिकारी के पदों हेतु पूर्व में आयोग द्वारा जारी संयुक्त विज्ञापन संख्या –8/परीक्षा/2013–14 दिनांक 18.9.2013 के जरिये भर्ती की गयी थी। **अतः उक्त पदों हेतु विचाराधीन भर्ती प्रकिया 7 वर्ष के लम्बे अंतराल के बाद शुरू हुयी है।** राज्य सरकार के अधीन कनिष्ठ विधि अधिकारी के 163 पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं, जिससे राजकाज पर प्रतिकूल प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है एवं **वर्तमान में पदस्थापित कनिष्ठ विधि अधिकारीगण भी (अधिकांश कैडर रिक्त होने के कारण) प्रथम पदोन्नति से वंचित हैं।**

अतः निवेदन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त लिखित परीक्षा में सफल घोषित **कुल 462 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार अतिशीघ्र आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से आयोग को अनुरोध करने की कृपा करें,** जिससे कि कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति से राजकाज सुचारू रूप से संपन्न हो सके साथ ही पदोन्नति से वंचित हो रहे कनिष्ठ विधि अधिकारीगण को भी समय पर पदोन्नति मिल सके।

सादर ।

भवदीय

06/8/2020

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

mail

dscs-rj@nic.in

श्री जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2019 के साक्षात्कार शीघ्र आयोजित करवाने बाबत।

From : Mukesh Kumar Sharma <dscs-rj@nic.in> Fri, Aug 07, 2020 11:30 AM

Subject : श्री जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2019 के साक्षात्कार शीघ्र आयोजित करवाने बाबत। 1 attachment

To : rpsc ajm <rpsc.ajm@gmail.com>

pl. find attachment

Mukesh Kumar Sharma
Jt. Secretary to Chief Secretary

RPSC_Jitendra_Singh0001.pdf
40 KB

राजस्थान सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय

क्रमांक: सं.स./मु.स./RPSC/2020/ 00319 दिनांक 07.08.2020

सचिव,
राजस्थान राज्य लोकसेवा आयोग,
जयपुर रोड, अजमेर

महोदय,

मुख्य सचिव महोदय को निम्न प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	प्रार्थी का विवरण	विषय
1	श्री जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2019 के साक्षात्कार शीघ्र आयोजित करवाने बाबत।

प्राप्त पत्रानुसार कनिष्ठ विधि अधिकारी पदों हेतु विचाराधीन भर्ती प्रक्रिया 7 वर्ष के अंतराल के पश्चात शुरू हुई है, किन्तु प्रतियोगी परीक्षा 2019 के साक्षात्कार शीघ्र आयोजित न होने तथा अधिकांश कैडर रिक्त होने के कारण पूर्व में पदस्थापित कनिष्ठ विधि अधिकारीगण भी प्रथम पदोन्नति से वंचित हैं। अतः प्रार्थीपक्ष का निवेदन है कि साक्षात्कार शीघ्र आयोजित किये जावें।

निर्देशानुसार प्राप्त पत्र सक्षम स्तर से परीक्षण एवं न्यायोचित विचारार्थ मूल ही संलग्न प्रेषित है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव

कक्ष संख्या - 4013 (मुख्य भवन), भूतल, शासन सचिवालय, जयपुर। दूरभाष - 0141-2385890 (Telefax), email- dscs-rj@nic.in

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 14

मीटिंग नोटिस

दिनांक : 27.08.2020

राजस्थान विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 02.09.2020 को दोपहर 1:30 से 2:30 बजे, समिति कक्ष द्वितीय, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कोविड–19 के कारण उक्त बैठक उचित समय पर आयोजित नहीं हो सकी।

उक्त बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विधि सेवा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों (यथाः पदोन्नति समिति आयोजित कराने, कनिष्ठ विधि अधिकारियों की पदोन्नति, 1 जनवरी से 30 जून 2020 तक परिषद् के हिसाब एवं अन्य संघ द्वारा किये जा रहे दुष्प्रचार के जवाब एवं कनिष्ठ विधि अधिकारियों के साक्षात्कार इत्यादि) पर चर्चा की जायेगी।

कृपया कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, जिसमें संयोजक, परामर्श मण्डल एवं महिला मण्डल के सदस्य भी सम्मिलित हैं, कोविड–19 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन करते हुए, उक्त निर्धारित समय पर बैठक में हिस्सा लेकर अपने सुझावों/विचारों से विधि सेवा के हित में किये जाने वाले कार्यों को मजबूती प्रदान करावें।

निवेदक

27/8/2020

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक परिषद् को कुल प्राप्त राशि

परिषद के सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि का निम्नानुसार विवरण:–

(i) 48 सदस्यों द्वारा जमा की गयी राशि =500/–रूपये की राशि

48×500 = 24000/–रूपये की राशि

(ii) 1सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी = 500/–रूपये की राशि

1×500 = 500/–रूपये की राशि

अर्थात कुल प्राप्त राशि

24000+500 = 24500/–रूपये

उक्त कुल प्राप्त राशि में ही ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि भी सम्मिलित है :–

1 सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी=500/–रूपये की राशि

1×500 = 500/–रूपये की राशि

अर्थात कुल ऑनलाईन प्राप्त राशि =500/–रूपये

अतः कुल नकद प्राप्त राशि

24500–500= 24000 /–रूपये

*** उक्त कुल नकद प्राप्त राशि मे परिषद् के आवश्यक खर्चे सम्मिलित नहीं है ।**

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि तथा पूर्व में प्राप्त राशि व खर्चो की परिषद के पास जमा राशि का विवरण :–	दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि :–
1. दिनांक 01.11.2018 से 31.12.2018 तक के हिसाब की शेष राशि = 9547/–रूपये राज0 विधि सेवा परिषद के सदस्यों के परिचय पत्र तैयार करने हेतु परिषद के पास अलग से जमा थे। कुछ विधि अधिकारियों द्वारा सदस्यता राशि जमा नहीं कराने के कारण तत्समय उनके परिचय पत्र तैयार नहीं करवाये गये और जिसका दिनांक 30.12.2019 को परिचय पत्र बनाने वाले उमा कम्प्युटर प्रेस, जयपुर द्वारा हिसाब दिया गया। अतः राशि शेष बची रही। अर्थात पूर्व राशि परिषद के कोष में जमा = 9547/–रूपये। 2. दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक परिषद को नकद प्राप्त राशि = 24000/–रूपये। 3. परिषद् के रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक शेष राशि 39456 –500 = 38956/–रूपये (श्री गिरधारी लाल जाखड़, डीएलआर ने बाद में ऑनलाईन जमा करवाये जो कि पूर्व में नकद मय रसीद का हिसाब किया गया था।) अर्थात परिषद् के पास जमा राशि 9547+24000+38956=72503/- रुपये। 4. उक्त जमा राशि में से दिनांक 29.06.2020 को परिषद के बैंक खाते में नकद 20000/– रुपये जमा करवाये। **अतः परिषद के पास जमा राशि 72503 – 20000 = 52503/– रुपये।** संलग्न :– दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	1. दिनांक 01.11.2018 से 30.12.2019 तक विधि सेवा परिषद के कुल 161 सदस्यों के परिचय पत्र (प्रिंटिंग प्लास्टिक कॉटेड शीट) उमा कम्प्युटर्स प्रेस, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर द्वारा बनवाये गये, जिसका खर्चा 9689 रूपये है (उक्त राशि में दिनांक 01.11.2018 से 31.12.2018 तक के हिसाब से दिनांक 03.11.2018 को उमा कम्प्युटर प्रेस, जयपुर को = 7000/–रुपये अग्रिम राशि दी गई)। अर्थात 9689 – 7000 = 2689/–रूपये अतः दिनांक 30.12.2019 को उमा कम्प्यूटर प्रेस, जयपुर को शेष राशि 2689/– रुपये दिये गये। 2 दिनांक 30.12.2019 को राज0 विधि सेवा परिषद के लेटर हैड, रसीद बुक, लिफाफे पर खर्च की गई राशि = 1940/–रुपये उमा कम्प्यूटर प्रेस, जयपुर को दिये गये। 3 दिनांक 31.01.2020 को जयपुर में आयोजित सेवानिवृत्त समारोह श्री बालेन्द्र पाण्डेय (संयुक्त विधि परामर्शी) एवं श्री काशी राम, (उप विधि परामर्शी) के समारोह का खर्चा की कुल राशि = 9480/–रुपये 4 दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक वेबसाईट के अपडेशन हेतु 6×650 = 3900/–रूपये दिनांक 29.06.2020 को श्री अभिषेक त्रिवेदी को दिये गये एवं दिनांक 12.02.2020 को वेबसाइट के 2 वर्ष के नवीनीकरण हेतु 2010.72 + 9883.68 = 11894.40/–रूपये श्री अभिषेक त्रिवेदी जी को दिये गये। अर्थात श्री अभिषेक त्रिवेदी को 3900 + 11894.40 = 15794.40/- रूपये दिये गये। 5 दिनांक 07.02.2020 को विधि सेवा परिषद की नई स्मारिका बनवाने हेतु पुरानी स्मारिका में से सभी परिपत्र की टाईपिंग मय करेक्शन के खर्चो हेतु श्री महेन्द्र जी को = 6000/–रुपये दिये गये। * अर्थात दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार उक्त खर्चो क्रमशः 1 से 5 तक की कुल राशि = 2689 + 1940 + 9480 + 15794.40 + 6000 = 35903.40/–रुपये संलग्न :– खर्चो से संबंधित दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक की लिस्ट

अतः **परिषद के पास उक्त जमा कुल राशि = 52503/-रूपये में से परिषद् के उपरोक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = 35903.40/–रुपये को समायोजित करके शेष राशि 52503 – 35903.40 = 16599.60/–रूपये परिषद् के पास जमा है।**

नोट :– यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय/कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है।

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 15

दिनांक : 04.09.2020

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 02.09.2020 को दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक शासन सचिवालय जयपुर मे आयोजित की गई।

बैठक में कोषाध्यक्ष द्वारा परिषद् की दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक की आय–व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। आय–व्यय के ब्यौरे के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आय–व्यय के ब्यौरे को सर्वसम्मति से यथास्थिति में अनुमोदित किया गया।

बैठक में परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2020 की विभागीय पदोन्नति समिति के शीघ्र आयोजन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया कि यदि डीपीसी सितम्बर माह मे आयोजित नहीं होती है तो वर्ष 2019–20 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी आवश्यक होंगे, इससे डीपीसी में विलम्ब कारित होना संभाव्य है। विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस बाबत् विधि विभाग से अनुरोध किया जावे और सितम्बर माह मे ही जल्द से जल्द डीपीसी आयोजित कराने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जावें।
2. कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु कार्य अनुभव में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने हेतु परिषद् की ओर से विधि विभाग को दिये गये ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिषद् की ओर से प्रस्तुत किये गये ज्ञापन को विधि विभाग से अनुरोध करके Put up कराया जावे एवं आवश्यकता होने पर नये सिरे से भी ज्ञापन देकर उसे Put up करवाकर पत्रावली कार्मिक विभाग को भिजवाने का प्रयास किया जावे।
3. लिटिगेशन पॉलिसी 2018 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में सभी विभागों में Legal Cell स्थापित करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की ओर से जारी निर्देशों की पालना में विचार–विमर्श किया गया और यह तय किया गया कि विभिन्न विभागों में पदस्थापित विधि सेवा के अधिकारीगण Legal Cell की परिपूर्णता सुनिश्चित कराने हेतु संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी एवं अन्य अपेक्षित पदों के सृजन हेतु अपने–अपने विभागों के प्रस्ताव शीघ्र ही विधि विभाग को भिजवावें।

4. विधि सेवा के अधिकारियों को NPA नहीं मिलने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया कि विधि अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता प्रोफेशनल होते हुए भी उन्हे डॉक्टर्स के समान NPA नहीं मिलता है। इस सम्बन्ध में विधि विभाग को ज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया गया।
5. विधि सेवा अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने के चैनल के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। कुछ सदस्यों का यह सुझाव था कि विधि सेवा के अधिकारियों की ACR भरे जाने का चैनल तय कराया जावे कि विधि सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ही कनिष्ठ अधिकारी की ACR भरेंगे। कुछ सदस्यों का मत था कि ACR भरे जाने की वर्तमान व्यवस्था ही उचित है और वही लागू रहनी चाहिए। चर्चा में किसी भी बिन्दू पर एक राय नहीं होने के कारण कोई निर्णय नहीं हो सका।
6. विधि सेवा परिषद् द्वारा अब तक किये गये मुख्य कार्यो एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित विवरण पत्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

04/09/2020

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपि – प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महासचिव

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए अध्यक्ष पद हेतु चुनाव दिनांक 31.7.2017 को परिषद् के संविधान में उल्लेखित संवैधानिक प्रक्रिया की पालना करते हुए संपन्न हुए, जिसमें श्री जितेन्द्र सिंह को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। परिषद के संविधान के अनुरूप आयोजित विगत तीन चुनावों में श्री जितेन्द्र सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है एवं वर्तमान में भी अध्यक्ष पद पर श्री जितेन्द्र सिंह ही कार्यरत हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी द्वारा विधि सेवा के हित में उत्कृष्ट प्रयास कर अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किये गये, जिनमें से कुछ निम्नवत् हैं :–

1. विधि सेवा परिषद् के सदस्य अधिकारीगण के सेवानिवृति पर परिषद् द्वारा जयपुर एवं जयपुर से बाहर मुख्यालयों पर सेवानिवृति समारोह आयोजित करना शुरू किया गया, जो विगत कई वर्षों से आयोजित नहीं हो रहे थे।
2. विधि सेवा के इतिहास में पहली बार rajvidhiseva.com नाम से राजस्थान विधि सेवा परिषद की वेबसाइट बनायी गयी। उक्त वेबसाइट पर किसी भी व्यक्ति द्वारा विधिक शब्दकोश, विधि सेवा से संबंधित नियम/परिपत्र/आदेश आदि संबंधी अद्यतन जानकारी के साथ विधि सेवा के अधिकारीगण की सेवा में वरीयता, पदस्थापन, मोबाइल नं0, निवास स्थान का पता इत्यादि तुरंत प्राप्त की जा सकती है। उक्त वेबसाइट प्रत्येक लोक सेवक के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है।
3. विधि सेवा के अधिकारियों के राज्य सरकार से पहली बार परिचय–पत्र बनवाये गये। उक्त परिचय पत्र निशुल्क बनवाये गये एवं विधि सेवा परिषद् के सदस्य का खर्चा परिषद द्वारा वहन किया गया।
4. परिषद के वर्तमान अध्यक्ष की प्रथम निर्वाचन तिथि 31.7.2017 के पश्चात परिषद् के संविधान की पालना में पारदर्शिता से प्रति वर्ष चुनाव सम्पन्न करवाये गये हैं। इससे पहले परिषद के चुनाव अधिकांशतः समय पर सम्पन्न नहीं हुए हैं, अतः वर्तमान में परिषद् की चुनाव प्रकिया में पारदर्शिता बनी है।

5. राजस्थान विधि सेवा परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी द्वारा अपने प्रथम कार्यकाल के शुरू होने से अब तक लगातार परिषद् के सदस्यों द्वारा दी गई सदस्यता शुल्क एवं परिषद् द्वारा किये गये खर्चों को प्रत्येक वर्ष में समय–समय पर कार्यकारिणी के समक्ष परिषद के आय–व्यय को अनुमोदन हेतु रखा गया है एवं उक्त आय–व्यय का विवरण पूर्ण रूपेण पारदर्शी है, जो परिषद की वेबसाइट पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे पूर्व के अध्यक्षों के कार्यकाल का आय–व्यय विवरण पूर्व अध्यक्ष द्वारा आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

6. राजस्थान विधि सेवा परिषद् का वर्षों से सचिवालय शाखा में स्थित भारतीय स्टेट बैंक का खाता Rajasthan Law Service नाम से था एवं इस खाते में नामित अधिकारीगण भी कई वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। अतः उक्त खाता निष्क्रिय अवस्था में था, जिसे वर्तमान अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रयासों से राजस्थान विधि सेवा परिषद नाम से दुरूस्त एवं सक्रिय करवाया गया, ताकि परिषद् का कोष बैंक खाते में सुरक्षित रह सके। वर्तमान अध्यक्ष की प्रथम कार्यग्रहण तिथि 31.7.2017 को उक्त खाते में राशि रूपये 2,66,169/– जमा थी, जो कि वर्तमान में बढकर रूपये 3,16,769/– है। इस दौरान परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह, वेबसाइट, परिचय–पत्र इत्यादि के खर्चे भी वहन किये गये हैं।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विधि सेवा से संबंधित विचाराधीन एस0एल0पी0 सिविल कमांक 21863/2007 राजस्थान विधि सेवा संघ बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.8.2016 को खारिज कर दिया गया। जिसके लिए परिषद किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती किन्तु उक्त विशिष्ट अनुमति याचिका के खारिज होने के उपरान्त डी.बी. स्पेशल अपील (याचिका) संख्या 633/1992, राजस्थान राज्य बनाम राजस्थान विधि सेवा संघ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 07.5.2007 की अनुपालना आवश्यक थी। उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान विधि सेवा संघ को, जो कि तत्समय राजस्थान विधि सेवा परिषद् के रूप में

संचालित था, राज्य सरकार को कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी के वेतनमान के संबंध में प्रतिवेदन देने एवं राज्य सरकार को उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के निर्देश दिये गये थे। अतः विधि सेवा की तीन दशक के उक्त विधिक संघर्ष का परिणाम राज्य सरकार को उक्त प्रतिवेदन दिया जाना था, अतः यह विधि सेवा के हित में नितान्त आवश्यक था। किन्तु विधि सेवा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल/तत्कालीन कार्यकारिणी द्वारा उक्त वांछित प्रतिवेदन राज्य सरकार को क्यों नहीं दिया गया एवं विधि विशेषज्ञों का सेवा संघ होते हुए भी सेवा के लिए ऐसी आत्मघाती भूल कैसे हो गयी, यह समझ से परे है। श्री अग्रवाल द्वारा भी उक्त संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। एस0एल0पी0 खारिज होने के उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिव्यू याचिका दायर की गयी थी अथवा नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रिव्यू याचिका संबंधी कोई विवरण न तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और न ही तत्कालीन अध्यक्ष/कार्यकारिणी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

8. श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा राजस्थान विधि सेवा के अध्यक्ष पद का दिनांक 31.7.2017 को कार्यभार संभालते ही उक्त क्रम में ज्ञापन देने बाबत प्रमुख शासन सचिव, विधि महोदय से वार्ता की, किन्तु समयावधि में ज्ञापन न दिये जाने का कोई स्पष्ट कारण विद्यमान न होने पर, समय बाधित ज्ञापन देना औचित्यहीन बताया गया।

9. राज्य सरकार द्वारा सावंत समिति का गठन पूर्व में वेतन आयोगों द्वारा राज्य में कर्मचारियों को दिये गये वेतनमानों में चली आ रही विसंगति को दूर करने हेतु किया गया था। अतः नये सिरे से नवीन वेतनमान की मांग, कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण सावंत समिति के समक्ष किया जाना संभव नहीं था। पूर्व में विधि सेवा एवं विधि रचना सेवा के वेतनमान समान होने एवं वर्तमान में विधि सेवा का वेतनमान विधि रचना सेवा से कम होने तथा केन्द्रीय विधि सेवा के अनुरूप न होने के कारण वेतनमान में विसंगति थी। इस विसंगति के निवारण हेतु, राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं विधि विभाग से इसकी संस्तुति कराते हुए परिषद की पॉच सदस्यीय कमेटी द्वारा कठोर परिश्रम

कर पूर्ण तैयारी के साथ सावंत समिति के समक्ष विधि सेवा का पक्ष अत्यंत प्रभावी ढंग से रखा गया। सावंत कमेटी द्वारा विधि सेवा के हित में बढे हुए वेतनमान की अनुशंसा किये जाने के संबंध में, परिषद पूर्णतः आश्वस्त है। अभी सावंत कमेटी की रिर्पोट सार्वजनिक नहीं हुई है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान अध्यक्ष द्वारा एस0एल0पी0 खारिज होने के परिणामस्वरूप कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी के वेतनमान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आदेश की अनुपालना में राज्य सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि विधि सेवा के समस्त पदों हेतु बढे हुये वेतनमान की संस्तुति विधि विभाग से कराते हुए सावंत समिति के समक्ष प्रभावी ढंग से विधि सेवा का पक्ष रखा गया है।

10. राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा विशेष प्रयास कर उप विधि परामर्शी के विधि विभाग में 6 एवं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों में 30 नवीन पद सृजित करवाये गये। उप विधि परामर्शी के उक्त 36 पदों का एक साथ सृजित होना विधि सेवा के इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि है, जिसका लाभ सेवा के अधिकांश सदस्यों को पदोन्नति में मिला है।

11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु राज्य सेवा के 25 वर्ष के अनुभव के स्थान पर कुल 28 वर्ष की सेवा का संशोधन प्रस्ताव तत्कालीन माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 15.11.2018 को कार्मिक विभाग को भिजवाया गया, जिसे कार्मिक विभाग दिनांक 19.12.2018 को निरस्त कर दिया गया। विधि सेवा परिषद द्वारा दिनांक 30.01.2019 को उक्त संशोधन हेतु प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को ज्ञापन दिया गया, जिस पर परिषद के विशेष प्रयास एवं तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग के विशेष सहयोग से 25 वर्ष की राज्य सेवा के स्थान पर कनिष्ठ विधि अधिकारी की सेवा को भी सम्मिलित करते हुए कुल सेवा अवधि 28 वर्ष का संशोधन संभव हो सका।

12. विधि सेवा के अधिकारियों को अन्य विभागाध्यक्ष द्वारा सीधे ही अपने स्तर से अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने पर परिषद द्वारा इस बाबत विधि विभाग से दिनांक 09.7.2019 को परिपत्र जारी करवाया गया। इसके उपरान्त भी समय-समय पर

30 M

विधि सेवा के अधिकारियों को दिये गये अतिरिक्त कार्यभार के आदेशों को परिषद के प्रयासों पर विधि विभाग द्वारा निरस्त किया जाता रहा है।

13. राज्य में अधिकांश सेवाओं में परिवीक्षाकाल समाप्त होते ही स्थायीकरण के आदेश जारी हो जाते हैं, किन्तु विधि विभाग द्वारा विधि सेवा के अधिकारीगण के संबंध में ऐसा नहीं किया जाता था। परिषद द्वारा विशेष प्रयास कर कनिष्ठ विधि अधिकारीगण के बैच–2016 का कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर ही स्थायीकरण के आदेश जारी करवाये। ऐसा विधि सेवा के इतिहास में पहली बार हुआ है।

14. परिषद द्वारा विशेष प्रयास कर कनिष्ठ विधि अधिकारी के 156 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवायी। विधि विभाग द्वारा वेतनमान के आधार पर उक्त रिक्तियों पर भर्ती हेतु अनुशंसा राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की गयी। अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत प्रयास कर अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से उक्त अनुशंसा पुनः विधि विभाग को वापस भिजवायी एवं तदुपरान्त ही विधि विभाग द्वारा यह राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गयी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त प्रकरण अनेक बार राज्य सरकार को लौटाया गया। वर्तमान अध्यक्ष द्वारा उक्त विधिक अडचनों के निवारण हेतु विशेष प्रयास किये गये, जिनका अवलोकन किसी भी माननीय सदस्य द्वारा परिषद कार्यालय में कभी भी किया जा सकता है। उक्त प्रयासों के कारण कनिष्ठ विधि अधिकारी की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू की जा सकी।

15. विधि सेवा के अधिकारीगण की पदोन्नति समिति की बैठक नियमित रूप से प्रतिवर्ष आयोजित नहीं होती थी। परिषद द्वारा इस संबंध में विशेष प्रयास कर उक्त प्रकिया को नियमित कराया है।

16. परिषद द्वारा राजस्थान वादकरण नीति–2018 में विधि सेवा से संबंधित प्रावधानों, विशेषकर सभी विभागों में लीगल सैल गठित करने, विधि अधिकारियों को आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराने एवं विधि सेवा में नवीन पद सृजन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने बाबत, प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि विभाग को ज्ञापन दिया गया। उक्त कम में विधि विभाग द्वारा दिनांक 19.9.2019 को परिपत्र जारी किया गया।

अध्य

17. किसी भी सेवा संघ का पंजीयन कराना विधिक रूप से आवश्यक नहीं है, अतः राज्य में अधिकांश सेवा संघ पंजीकृत नहीं है। सेवा के हित में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जिसके लिए संघ का पंजीकरण आवश्यक हो। सेवा से संबंधित किसी भी अनुतोष के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने बाबत् किसी भी संघ का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। राजस्थान विधि सेवा संघ का कोई पंजीकरण नहीं था, फिर भी उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वेतनमान संबंधी याचिका दायर की गयी थी।

18. दिनांक 31.7.2017 को प्रथम बार अध्यक्ष का पद ग्रहण करने से आज तक विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की आयोजित हुई समस्त बैठकों में होने वाले चाय–नाश्ता इत्यादि का संपूर्ण खर्चा अध्यक्ष, श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन किया गया है, परिषद् के कोष से उक्त मद में आज तक कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवा के हित में प्रदत्त समस्त ज्ञापनों/प्रयासों का अवलोकन परिषद की वेबसाइट पर किया जा सकता है। परिषद के आय–व्यय का संपूर्ण विवरण भी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। परिषद द्वारा किये गये प्रयासों का संपूर्ण दस्तावेजी विवरण परिषद कार्यालय में उपलब्ध है, जिसका किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कार्यालय समय में अवलोकन किया जा सकता है। अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी विधि सेवा के हित में पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ अनवरत रूप से प्रयासरत है।

31/7

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./16

दिनांक :05.11.2020.....

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की आपात बैठक दिनांक 04.11.2020 को दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक शासन सचिवालय, जयपुर मे आयोजित की गई।

बैठक में राज0 विधि सेवा परिषद् के संविधान के अनुसार वर्ष 2021 के लिये परिषद् के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कार्मिक (क-5) विभाग की आज्ञा दिनांक 02.07.2020 को ध्यान में लाया गया, जिसमें कोरोना महामारी के प्रकोप की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए सचिवालय परिसर में संचालित समस्त अधिकारी/कर्मचारी संघों के निर्वाचन एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी समस्त गतिविधियों पर आगामी एक वर्ष तक रोक लगायी गई है। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये हैं।

राज0 विधि सेवा परिषद् के संविधान के अनुसार अध्यक्ष पद हेतु चुनाव प्रक्रिया नवम्बर माह मे प्रारम्भ की जाती है। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकती। अतः ऐसी स्थिति में बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज0 विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष पद हेतु प्रारम्भ की जाने वाली चुनाव प्रक्रिया को एक वर्ष के लिये स्थगित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

05/11/2020

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपि – प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महासचिव

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./17

दिनांक : 12/11/2020

—:: आदेश ::—

मैं **जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष,** राजस्थान विधि सेवा परिषद, परिषद के संविधान के अनुच्छेद–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी के पुनर्गठन की घोषणा करता हूँ :–

—: संरक्षक :—

श्री सतीश कुमार पाराशर, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

—: परामर्श मण्डल :—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, Sr. Jt.L.R
2. श्री राजेन्द्र सिंह, Sr. Jt.L.R
3. श्री सांवर मल पारीक, Sr. Jt.L.R
4. श्री महेन्द्र बिडियासर, Jt.L.R
5. श्री हरीश कुमार शर्मा, Jt.L.R
6. श्री केदार नाथ, Jt.L.R
7. श्री हरदयाल सिंह ढाका, Jt.L.R
8. श्री उत्तम सिंह Jt.L.R
9. श्री उमेन्द्र कुमार गोयल, Jt.L.R
10. श्री सुनील कुमार राघव, D.L.R
11. श्री महेश कुमार गोयल, D.L.R
12. श्री गिरधारी लाल जाखड, D.L.R
13. श्री उगमाराम, D.L.R
14. श्री सुब्रत सान्याल, D.L.R
15. श्री संजय कुमार, D.L.R
16. श्री महेश चन्द यादव, A.L.R

12/11/2020

–: कार्यकारिणी :–

वरिष्ठ उपाध्यक्ष	– श्री प्रकाश गुप्ता, संयुक्त विधि परामर्शी
उपाध्यक्ष	– श्रीमती आशा शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी
महासचिव	– श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, उप विधि परामर्शी
सचिव	– सुश्री भारती शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी,
संयुक्त सचिव	– श्री सोमदत्त खाण्डपा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
कोषाध्यक्ष	– श्री विजय कुमार जैन, उप विधि परामर्शी
सह–कोषाध्यक्ष	– श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
प्रवक्ता	– श्री सुनील मुवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
समन्वयक	– श्री हेमन्त सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी

–: सदस्यगण :–

श्री हारून अली, संयुक्त विधि परामर्शी
श्री छैल बिहारी अग्रवाल, संयुक्त विधि परामर्शी
श्री दुर्गा प्रसाद जोनवाल, उप विधि परामर्शी
श्री मो0 जाहिद रशीद, सहायक विधि परामर्शी
श्री सुखदेव सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी
श्रीमती वंदना मीणा, वरिष्ठ विधि अधिकारी
श्रीमती रानू चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्रीमती दिशा फौजदार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
सुश्री शालिनी मित्रुका, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री संदीप सोंठवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री वेद प्रकाश मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री अरूण सिंह धाकड, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री विनोद कुमार डाबी, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री विकास अग्रवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री सुधीर कुमार वर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी

12/11/2020

–: संभागीय पदाधिकारीगण :–

संभाग	उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव
जयपुर	श्री अशोक गुप्ता Jt.L.R.	श्री विराट कुमार JLO	श्री प्रिंस जैमन JLO
जोधपुर	श्री जगदीश कुमार सोनी, Jt.LR	श्री कमलेश शर्मा JLO	श्री दिनेश सिंह चारण JLO
अजमेर	श्री कमल विश्नोई DLR	श्री महेश चन्द गौड ALR	श्री नन्दकिशोर बाकोलिया JLO
कोटा	श्रीमती सपना वर्मा JLO	श्री बालमुकुन्द मीणा (अति0 प्रभार) JLO	श्री बालमुकुन्द मीणा JLO
बीकानेर	श्री मनमोहन आचार्य ALR	श्री पवन चावला ALR	श्री पवन विश्नोई JLO
उदयपुर	श्री शंकर सिंह देवडा DLR	श्री राकेश कुमार ओझा DLR	श्रीमती खुशबु चौबीसा JLO
भरतपुर	श्री चन्द्रशेखर शर्मा DLR	श्रीमती शालिनी पाण्डेय JLO	श्री सत्यभान हाडा JLO

नोटः–कार्यकारिणी की बैठक के एजेण्डे को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित होने हेतु राजस्थान विधि सेवा परिषद् के किसी भी मा0 सदस्य को **'विशेष आंमत्रित सदस्य'** के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

12/11/2020

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।

6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव/संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/ प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर।
11. पंजीयन, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अध्यक्ष/महामंत्री, सचिवालय विधि रचना संघ/ राजस्थान सचिवालय फोरम, जयपुर।
13. अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान सचिवालय, सेवा अधिकारी संघ/सचिवालय निजी सचिव/अति0 निजी सचिव सेवा संघ/ सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ/ राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी संघ, अजमेर।
14. महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अध्यक्ष/महासचिव, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ, जयपुर।
17. सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को प्रकाशनार्थ।
18. Etv Rajasthan/Zee News Rajasthan/First India को प्रसारणार्थ।
19. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसियेशन/जिला बार एसोसियेशन, जयपुर।

12/11/2020

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद्

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./19

दिनांक : 27.11.2020

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 24.11.2020 को दोपहर 1:30 से 2:00 बजे उनके कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में सदस्यों के वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के कारण विधि सेवा परिषद् द्वारा वर्ष 2020 की अवधि में कोई आयोजन नहीं कराये जाने के कारण वर्ष 2020 के वार्षिक सदस्यता एवं अन्य शुल्क के रूप में 500/– की देयता से सदस्यों को छूट प्रदान की जावे और जिन सदस्यों द्वारा वर्ष 2020 की अवधि के लिये उक्त राशि पूर्व में ही जमा करवा दी है, उनको वर्ष 2021 की अवधि के लिये पुनः उक्त राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी, उनका वर्ष 2020 में जमा कराया गया शुल्क ही वर्ष 2021 के लिये मान्य होगा। जिन अधिकारीगण ने वर्ष 2020 के लिये सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क के पेटे 500/–रूपये जमा नहीं करवाये हैं, वे वर्ष 2021 में शुल्क जमा करवाकर विधि सेवा परिषद् की सदस्यता के योग्य हो सकेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

27.11.2020

(सुश्री भारती शर्मा)
सचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपि – प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

27.11.2020

सचिव

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./20

दिनांक : 03/12/2020

सेवा में,

श्रीमान् आवासन आयुक्त महोदय,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण को आवासन मण्डल के प्रताप नगर, जयपुर योजना में सम्मिलित करने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा में राज्य सेवा के कुल 411 पद सृजित हैं। बडी संख्या में राज्य विधि सेवा के अधिकारीगण जयपुर में पदस्थापित रहते हैं। राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा जारी संलग्न विज्ञप्ति के अनुसार AIS Residency प्रताप नगर, जयपुर से लगी हुयी राजकीय अधिकारीगण के लिए आवासीय योजना प्रस्तावित है।

अतः निवेदन है कि उक्त प्रस्तावित आवासीय योजना में राजस्थान विधि सेवा अधिकारीगण को भी सम्मिलित होने हेतु अवसर प्रदान किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

03/12/2020

(जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 11

दिनांक : 24-3-2020

—:: प्रेस विज्ञप्ति ::—

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से राजस्थान राज्य में उत्पन्न संकट की स्थिति से उभरने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार प्रभावी निर्णय लिये जा रहे हैं, जिनकी अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा कठोर कदम उठाते हुए बचाव कार्य किये जा रहे हैं।

कोरोना वायरस से प्रदेश में उत्पन्न असामान्य परिस्थितियों से निपटने एवं जरूरतमंद लोगों की मदद हेतु राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यममंत्री सहायता कोष COVID-19' का गठन किया गया है।

संकट की इस स्थिति में 'राजस्थान विधि सेवा परिषद्' ने अपने सभी सदस्यों की ओर से 'मुख्यममंत्री सहायता कोष COVID-19' में अपना एक दिन का वेतन देने का निर्णय लिया है।

24/3/2020
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

राज्य के टीवी चैनलों पर प्रसारण एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
News-18 Raj./1st India/Zee News Raj. /राज0पत्रिका/दैनिक भास्कर/दैनिक नवज्योति, जयपुर।

24/3/2020
(जितेन्द्र सिंह)